पत्रांक–ना0सु0/141/2026-SEC-03-UDHD DEPT /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में नगर पंचायत, कोचस क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु तत्काल कुल ₹135.00 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित प्रबंध निदेशक, बुडको के पत्रांक–421, दिनांक–10.02.2025 द्वारा नगर पंचायत, कोचस क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु कुल ₹330.99500 लाख (तीन करोड़ तीस लाख निनानवे हजार पाँच सौ रू०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुये प्रशासनिक स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। विभागीय राज्यादेश संख्या–330 दिनांक–18.02.2025 द्वारा नगर पंचायत, कोचस क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु कुल राशि ₹330.99500 लाख (तीन करोड़ तीस लाख निनानवे हजार पाँच सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गयी थी, जिसकी निकासी कतिपय कारणों से नहीं हो पायी थी। बुडको का पत्रांक–1172 दिनांक–17.04.2025 द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय राज्यादेश संख्या–115, दिनांक–31.05.2025 द्वारा राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र आवंटित की गयी है। राशि के व्ययोपरांत प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अवशेष राशि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, कोचस क्षेत्रान्तर्गत बस स्टैंड निर्माण हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–3 में अंकित योजना की स्तम्भ–5 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध स्तम्भ–8 में अंकित अवशेष राशि में से तत्काल ₹135.00 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख रू०) मात्र की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026–27 में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत निम्नवत प्रदान दी जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि (6–7–8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	नगर पंचायत, कोचस	बस स्टैंड निर्माण योजना।	**330/ 18.02.2025**	330.99500	**285.82047**	**100.00**	**135.00**	**50.82047**

3. उक्त स्वीकृत राशि **राशि ₹135.00 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98, पत्रांक– 236, दिनांक– 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन***

पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०–PTSPLA006, HoA संख्या–00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. बिहार कोषागार सहित के नियम–286 के आलोक में यथा B.T.C फॉर्म सं०–46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496/वि(2), दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पंत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ वही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एव बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹135.00 लाख (एक करोड़ पैंतीस लाख रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष– 193– नगर पंचायतों–अधिसुचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष– 0104–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें– सहायक अनुदान विपत्र कोड–48-2217031930104, विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण की जायेगी।

7. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 03/ना0सु0/141/2026-SEC-03-UDHD DEPT के पृष्ठ सं०– 16/टि० पर दिनांक–16.09.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–19/टि० पर दिनांक– 02.10.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–03/ना0सु0/141/2026-SEC-03-UDHD DEPT 207 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–12/10/26

प्रतिलिपि:– प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, संबंधित जिला/प्रबंध निदेशक, बुडको /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोचस /कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।